

अंतिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठारीन अधिकारी :- श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

वादीगण

बनाग

प्रतिवादी

1 जेठाराम पुत्र हरजीराम
जाति जाट, निवासी
जोगेश्वर का कुआ 2
गजरो पुत्री हरजीराम
पत्नी जुंजाराम जाति
जाट निवासी गोदारासर,
वेरीवाला तला तहसील
बाड़मेर ग्रामीण।

1 हरजीराम पुत्र शिवदान 2 मगाराम पुत्र
हरजीराम 3 श्रीमती हेगीदेवी पत्नी मगाराम जाति
जाट निवासी जोगेश्वर कुआ, गरल तहसील
बाड़मेर 4 तहसीलदार बाड़मेर 5 उपपंजीयक
बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA Act.


मुकदमा नम्बर :- 38/2021

निर्णय दिनांक :- 19.02.2025

वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या-..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.02.2025 को श्री वीरमा राम, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री निम्न प्रकार दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद स्वीकार किया मौजा जागेश्वर कुआ पटवार हल्का गरल के खसरा संख्या 762/390 रकबा 14.06 बीघा, खसरा संख्या 764/390 रकबा 13.02 बीघा व खसरा संख्या 766/390 रकबा 01.04 बीघा कुल रकबा 28.12 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी में घोषित खातेदारी का घोषित किया जाता है तथा गिफ्ट पत्र संख्या 00586 दिनांक 05.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया गया है जो वादीगण के हितों की सीमा तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार बाड़मेर निर्णय की पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 19.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(वीरमा राम)

पीठारीन अधिकारी

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तमिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तमिल		जोड़	